



# AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION (S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)

Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr. Ramphool Puniya  
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187

Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F./Estt./ARSS/K/2025/897-904

Dated: 03/09/2025

## खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में हिस्सा आधारित खेती के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। हिस्सा आधारित खेती के लिए इच्छुक निविदादाताओं के पास पैनकार्ड व आधार कार्ड होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय समय में निविदा शुल्क रुपये 500/- प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक अथवा ऑनलाइन द्वारा भुगतान कर दिनांक 15.09.2025 तक सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) व <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं तथा निविदा शुल्क अमानत राशि के साथ बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक अथवा ऑनलाइन द्वारा देना होगा तथा सीलबंद निविदाएं दिनांक 15.09.2025 को सुबह 11:00 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं। दिनांक 15.09.2025 को दोपहर 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

| क्र. सं. | कार्य विवरण                                                              | अनुमानित राशि (रु) लाख | 2 प्रतिशत धरोहर राशि |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1        | फार्म पर 36 हेक्टेयर भूमि पर रबी 2025-26 में हिस्सा आधारित खेती का कार्य | 7.0                    | 14000                |

*[Signature]*

प्रभारी अधिकारी  
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर

Date:

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2025/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 15.09.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां-अलवर
5. श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर-भरतपुर को भेजकर लेख है कि केन्द्र की सभिति को दिनांक 15.09.2025 भेजकर निविदा सम्पन्न करावें।
6. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
7. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) & <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चरपा हेतु।
9. पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चरपा हेतु।
10. रक्षित फाइल

*[Signature]*

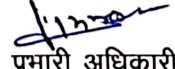
प्रभारी अधिकारी  
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर

**कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)**  
**(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)**  
**हिस्सा आधारित कृषि हेतु**

**खुली निविदा प्रपत्र**

|                                                                                   |                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| खुली निविदा सूचना क्रमांक: एफ (OT)/Store/ARSS/K/2025/997-904                      |                                              | दिनांक: 03/09/2025 |
| 1. योजना का नाम                                                                   | हिस्सा आधारित खेती                           |                    |
| 2. बजट हैड                                                                        | रिवोल्विंग फण्ड                              |                    |
| 3. कार्य की अनुमानित अवधि                                                         | रबी वर्ष 2025-26                             |                    |
| 4. निविदा फार्म का मूल्य                                                          | 500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक व ऑनलाइन |                    |
| 5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि                                                   | धरोहर राशि 14000/- रुपये                     |                    |
| 6. अनुमानित लागत                                                                  | 7 लाख                                        |                    |
| 7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय                                              | 15.09.2025 सुबह 10:30 बजे तक                 |                    |
| 8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय                                              | 15.09.2025 सुबह 11:00 बजे तक                 |                    |
| 9. निविदा खोलने की दिनांक व समय                                                   | 15.09.2025 सुबह 11:30 बजे                    |                    |
| 10. परिशिष्ट संख्या दो से पाँच                                                    | निविदा की शर्तें                             |                    |
| 11. परिशिष्ट संख्या छः                                                            | फसल व हिस्सेदारी का विवरण                    |                    |
| 12. पत्राचार हेतु पता- प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) | मोबाईल नं०-7006932187                        |                    |

निविदादाता के हस्ताक्षर

  
 प्रभारी अधिकारी  
**Officer Incharge**  
 Agril. Res. Sub. Station  
 Kumer (Bharatpur)

# कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

हिस्सा आधारित खेती हेतु

तकनीकी निविदा प्रपत्र वर्ष 2025-2026

क्रमांक: क्रमांक: एफ (OT)/Store / ARSS/K / 2025 / 897-904

दिनांक: 03/09/2025

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष:- .....

1. धरोहर राशि रू0 14000/- को डी0डी0 सं0/बैंकर्स चैक/ऑनलाइन.....दिनांक .....
2. पैन नं0 ..... (फोटोप्रति संलग्न करें)
3. आधार संख्या ..... (फोटोप्रति संलग्न करें)
  - बैंक पासबुक/केन्सिल चैक
  - संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र
  - ब्लेकलिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर।
5. सफल निविदादाता को 500/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
7. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
8. निविदा सील बन्द लिफाफे में जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. अमानत राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

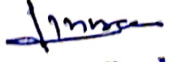
हस्ताक्षर ठेकेदार

  
**Officer in Charge**  
 Agril. Res. Sub. Station  
 Kumher (Bharatpur)

## निविदा शर्त:-

3

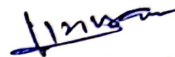
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को प्रेषित होनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, डीजल इंजन, वाटर पंप, वॉल, रिच पाना किट, फव्वारे बेड, टी, डाट व अन्य सिंचाई सम्बन्धी सामान आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।                                                                          |
| 5.  | बीज उत्पादन के लिए बुवाई से लेकर, थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने तक सभी कार्य हिस्साधारक को करने होंगे, जिसमें पलेवा व बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी, फफूंदनाशी व उर्वरकों का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, कटी फसल को इकत्रित करना व थ्रेसिंग कर दाने को साफ कर स्टोर में धांग लगाने का कार्य हिस्साधारक को करना होगा। |
| 6.  | आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | फार्म पर बुवाई क्षेत्र में व आस-पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। खरपतवार नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र/ फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशाले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | फार्म फील्ड पर यदि रबी सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | निविदादाता निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुरन्त बाद 1000/- रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अमानत राशि जमा करानी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | फार्म पर 36 हेक्टेयर कृषि भूमि है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | यह ठेका रबी वर्ष 2025-26 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने के फसल फार्म फील्ड में से उठने तक के लिए मान्य होगा। फसल, फील्ड में से उठाने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | उत्पादित बीज का वजन तौलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत वजन काटा जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | जुताई हेतु ड्राइवर व ट्रैक्टर सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी। सिंचाई हेतु इंजन, पाईप डीजल इत्यादि केन्द्र उपलब्ध करायेगा।                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16. | बीजोत्पादन में बीज का हिस्सा न देकर हिस्से की राशि, बीज जमा कराने की तिथि से 7 दिन पहले व 7 दिन बाद तक के नजदीकी मंडी के औसत भाव के अनुसार अदा किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. | थ्रेसिंग के दौरान लगने वाले लेबर का सभी खर्च स्वयं ठेकेदार का होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18. | फसल में रोगिंग/ अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक की देखरेख में अलग-अलग समय पर करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. | बोरिंग, पम्प, इंजन, पंखा इत्यादि का ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. | श्रमिकों को लाने, ले जाने, पानी लाने व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. | फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा। साथ ही सिंचाई सम्बन्धी सामान की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।                                                                                                                                                                                                      |
| 22. | निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की मौग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा।                                                                    |
| 23. | किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।                                                                                                                                                                                                 |
| 24. | थ्रेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25. | सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।                                                                                                                                                         |
| 26. | किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27. | समस्त कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी अधिकारी को कार्य से संतुष्ट होने पर ही हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा। फसल वृद्धि के दौरान बीच में कोई अग्रिम राशि नहीं दी जावेगी। ठेकेदार अपने श्रमिकों का भुगतान बीच-बीच में स्वयं को करना होगा।                                                                                                                                             |
| 28. | समस्त निविदादाता आधार कार्ड व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

  
**Officer Incharge**  
 Agril. Res. Sub. Station  
 (Bharatpur)



|     |                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।                                                  |
| 30. | फार्म पर बोयी गयी सभी फसलों से प्राप्त भूसा/चारा/खारी/तूड़ी उत्पाद 100 प्रतिशत सफल निविदादाता की होगी।                                                      |
| 31. | किसी प्रकार के प्राकृतिक व अन्य कारण से नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें केन्द्र किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा। |
| 32. | मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।                            |

हस्ताक्षर ठेकेदार

  
 प्रभारी अधिकारी  
**Officer Incharge**  
 Agril. Res. Sub. Station  
 Kumber (Bharatpur)

## कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2025/ 897-904

Date: 03/09/2025

खुली निविदा हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

| क्र.सं. | आवश्यक दस्तावेजात का विवरण                                           | संलग्न सूची क्रमांक |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.      | आयकर (पैन कार्ड)                                                     |                     |
| 2.      | ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र                                  |                     |
| 3.      | निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/- का डी.डी./बैंकर्स चैक/ऑनलाइन संलग्न |                     |
| 4.      | अमानत राशि रुपये 14000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक/ऑनलाइन संलग्न         |                     |
| 5.      | शर्तों पर सहमति                                                      |                     |
| 6.      | आधार कार्ड                                                           |                     |
| 7.      | बैंक पासबुक/केन्सिल चैक                                              |                     |
| 8.      | संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र                                   |                     |

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर  
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

  
प्रभारी अधिकारी  
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)

**Officer Incharge**  
Agril. Res. Sub. Station  
Kumher (Bharatpur)

## निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिशत हिस्सा का विवरण

## वित्तीय निविदा प्रपत्र-1

क्रमांक: एफ (OT)/Store/ARSS/K/2025/897-904

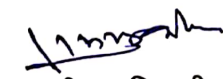
दिनांक: 03/09/2025

रबी फसल हिस्सा आधारित खेती वर्ष 2025-2026

| क्र० सं० | फसल   | विवरण | निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वयं का हिस्सेदारी प्रतिशत |
|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| 1.       | सरसों | दाना  |                                                          |
| 2.       | जौ    | दाना  |                                                          |
| 3.       | गेहूँ | दाना  |                                                          |
| 4.       | चना   | दाना  |                                                          |
| 5.       | मसूर  | दाना  |                                                          |
| 6.       | सौंफ  | दाना  |                                                          |

नोट - हिस्सा आधारित खेती में सभी फसलों का भूसा/चारा/तूड़ी/खारी हिस्साधारक का सम्पूर्ण हिस्सा होगा।  
उक्त तालिका में केवल दाने का हिस्सा निविदादाता को भरकर देना होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार



प्रभारी अधिकारी

**Officer Incharge**  
Agril. Res. Sub. Station  
Kumher (Bharatpur)